निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

---- xx ---- xx ----

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 298/2019 प्रा.पत्र (2019/00472)

अनवान

कैलाश पिता गोपीलाल भील निवासी बिछोर हाल मुकाम पंचवटी सेंती चित्तौड़गढ़ — प्रार्थी

बनाम

1- तुलसी बेवा भैरू भील निवासी मंगोरडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय -

1/1 जानी बाई पुत्री भैरू भील निवासी मंगोरडा पत्नी हजारी भील निवासी अड़किया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

1/2 रतनी बाई पुत्री भैरू भील निवासी मंगोरडा पत्नी सोहन भील निवासी उदरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

1/3 रूपी बाई पुत्री भैरू भील निवासी मंगोरडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2- बालू पिता भैरू भील निवासी मंगोरडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

3- जयराम पिता भैरू भील निवासी मंगोरडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

4- राहुलसिंह पिता ओंकारसिंह मीणा निवासी [illegible] के बजाय :-

4/1 खेमा पिता हेमा भील निवासी धारियाखेड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

4/2 भंवरलाल पिता खेमा भील निवासी भादसा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

5- रतना पिता नारू भील निवासी [illegible] तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

6- डालू माता रामीबाई पिता [illegible] भील निवासी उदपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ...... लगातार

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.02.01 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

7- छगनी माता रामीबाई पिता तारूजी भील निवासी अम्बावेरी पोस्ट सारी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8- रूकमा माता रामीबाई पिता तारूजी भील पत्नी हीराजी भील निवासी केरपुर पोस्ट उदपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
9- राजीबाई पिता केला जी पत्नी शंकर जी भील निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
10- भूमिस्वारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— विपक्षीगण

कार्यवाही :- अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

उपस्थिति ! – 1- श्री चन्द्रशेखर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
2- यशोदा गर्ग अधिवक्ता विपक्षी 5/

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

निर्णय

दिनांक 25/01/2022

संक्षेप मे विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरूद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मंगोरडा प.ह. अजमपुरा की आ.नं. 58 रकबा 1.90 हे. 57 रकबा 0.58 हे. व 64 रकबा 0.58 हे. प्रार्थी की खातेदारी की है। जिसमे आने जाने खेती का कार्य करने एवं फसल लाने ले जाने के लिए आम रास्ते के आ.नं. 77 से लगते हुए प्रार्थी की आराजीयात 57,58,64 के मध्य विपक्षीगण की आराजीयात है, प्रार्थी की आराजी 58 का आता जाता है तथा अपने मवेशी एवं अपनी फसलों को लाने ले जाने का कार्य भी प्रार्थी करता था, लेकिन विपक्षी उसे अपनी आराजीयात मे आने जाने ... ,बाड़ आदि लगाकर बन्द कर दिया है, जिससे ... उपयोग उपभोग कर काश्त नही ... चौड़ाई 6 मीटर है तथा इसी ... प्रार्थी को विपक्षीगण

--- लगाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.02.01 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

से आवश्यकता है। प्रार्थी अपनी आराजी पर आने-जाने हेतु विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 2 व 3 की आराजी संख्या 71 रकबा 0.75 हे. के दक्षिणी व उत्तरी दिशा के छोर वाले सरवेले मे होता हुआ विपक्षी संख्या 4/1, 4/2 की 87/301 रकबा 0.22 हे एवं विपक्षी संख्या 5 की खातेदारी आराजी संख्या 88 रकबा 0.19 हे. नक्शे मे उत्तरी मेड से लगता हुआ तथा विपक्षी संख्या 6,7,8,9 की खातेदारी आराजी नं० 79 रकबा 0.52 हे. के दक्षिणी मेड से लगता हुआ रास्ता किलानाम आराजी नम्बर 77 तक जाता है, जिसे विपक्षीगण ने बाधा उत्पन्न कर रोकदिया है, जिससे प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 57, 58, 64 पर काश्त नही कर पा रहा है। प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि पर जाने हेतु कोई भी वैध एंव रेकार्डेड रास्ता विद्यमान नही है, प्रार्थी को कदीमी रास्ते विद्यमान गाडी गडार के रास्ते मे अपनी कृषि भूमि मे ट्रेक्टर आदि ले जाने मे परेशानी हो रही है, इसलिए प्रार्थी प्रार्थी रास्ता चोडाई मे 6 मीटर आराजी नम्बर 71, 88, 87/301, 79 के दक्षिणी व उत्तरी दिशा के छोर पर प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसके लिए प्रार्थी निर्धारित राशि विपक्षी को अदा करने को तत्पर व तैयार है, जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी ने विपक्षी को मौखिक रूप से रास्ते का 6 मीटर चौडा रास्ता आ. नं. 57, 58, 64 से आराजी संख्या 77 के मध्य की आराजीयात के मेड से लगते हुए देने को कहते हुए रेकार्ड मे नक्शे मे तरमीम कराने के लिए कहा तो विपक्षी ने इस रास्ते को तरमीम करने से दिनांक 25/6/2019 को मना कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] आराजी नम्बर 57, 58, 64 से 77 के मध्य विपक्षी [illegible] आराजीयात के मेड के उत्तरी व दक्षिणी सरवेले मे रास्ता [illegible] चौडाई कदीमी रास्ते को रेवेन्यु रेकार्ड मे दर्ज किये [illegible] का आदेश प्रदान किए जाने बाबत निवेदन किया।

---लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.02.01 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 5/1 पेमा पिता हेमा भील ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। शेष विपक्षीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध दिनांक 19/3/2021 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। मौका रिपोर्ट तलब किए जाने पर तहसीलदार बस्सी द्वारा जरिये क्रमांक/राजस्व/219 दिनांक 14/12/2021 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ प्राप्त पर्चा मौका अनुसार मौके पर आ.नं. 57, 58, 64 में जाने हेतु रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीक होकर छोटा है। पर्चा मौका अनुसार आ.नं. 79 जो पुनीबाई-रामीबाई-राजीबाई पिता केसा 15/16 नारायणलाल पिता उदा 1/16 साण्डेह की होकर इस आराजी के रकबा 0.52 हे. में से 0.04 हे. रास्ता हेतु, आ.नं. 87/3गा, 88 पेमा पिता हेमा भील की होकर इनके रकबा क्रमशः 0.22 व 0.19 हे. में से 0.0450 व 0.0300 हे. रास्ता हेतु तथा आ.नं. 71 बालू-जयराम पिता भेरू 4/5, जानीबाई-रतनीबाई-रत्याबाई पिता भेरू 1/5 भील साण्डेह की होकर इसके रकबा 0.75 में 0.0900 हे. रास्ता हेतु प्रस्तावित की है। रास्ते हेतु कुल 0.2050 हे. भूमि प्रस्तावित की जिसकी DLC दर 3820/- प्रति एयर से दो गुना 156620/- रुपए कुल कीमत होना बताया है तथा प्रस्तावित रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस प्रकरण सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया एवं बहस अधिवक्ता उभय [illegible] किया। तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट सही एवं उचित प्रतीत होती है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.02.01 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ग्राम अंगोदड़ा स्थित आराजी संख्या 57, 58, 64 पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने बाबत विपक्षीगण की आ.नं. 71 रकबा 0.75 में से 0.0900 हे. आराजी नं. 79 रकबा 0.52 में से 0.04 हे., आ.नं. 87/301 रकबा 0.22 में से 0.04500 हे. तथा आ.नं. 88 रकबा 0.19 में से 0.0300 हे. कुल 0.2050 हे. की कीमत डी.एल.सी. दर 3820/- रुपये प्रति एयर के हिसाब से दो गुना कुल राशि 156620/- रुपये का भुगतान आराजी संख्या 71, 79, 87/301, 88 के खातेदारान को किए जाने पर आ.नं. 71 में से 0.0900 हे. आ.नं. 79 में से 0.0400 हे., आ.नं. 87/301 में से 0.0450 हे. तथा आ.नं. 88 में से 0.0300 हे. कुल 0.2050 हे. भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थी को को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि 156620/- रुपये का भुगतान आ.नं. 71, 79, 87/301, 88 के खातेदारान को करने हेतु उनके नाम के हिस्सेवार राशि के ड्राफ्ट बनवा कर भुगतान तहसीलदार बस्सी के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर भुगतान हेतु तहसीलदार बस्सी को मय निर्णय की प्रति तथा मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया की प्रति के प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात राजस्व रेकार्ड में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड में तरमीम किया जावे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
[illegible]
चित्तौड़[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.02.01 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested